>

Title: Need to provide weights and measures inspection only to Government agencies.

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): महोदय, देश में वर्ष 1956 से बाट व माप उपकरणों की जांच राज्य सरकारें करती आ रही हैं। वर्ष 1975 में यह कार्य राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाल दिया गया। विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 में संसद की स्थायी समिति ने दो बार स्पष्ट मना करने के बावजूद भी बाट व माप जांचने का कार्य राज्यों से लेकर प्राइवेट एजेंसियों को देने का प्रावधान रख दिया। प्रत्येक राज्य सरकार के पास राज्य में स्वतंत्र विभाग हैं, अरबों रुपये के बाट और माप जांचने के उपकरणों की प्रयोगशालाएं हैं। अरबों रुपये की आय प्राप्त होती है। कम से कम दस हजार मरम्मतकर्ता दशकों से अपने परिवार का जीवन-यापन कर रहे हैं। भारत सरकार संसद की स्टेण्डिंग कमेटी की सिफारिशों को नहीं मान कर विभाग के कर्मचारियों के प्रतिवेदनों पर भी बिना विचार किए बाट व माप उपकरणों की जांच प्राइवेट एजसिंयों से करवाने के नियम बना रही है। यदि कार्य प्राइवेट एजसिंयों को दिया गया तो राज्य सरकारों के अधिकारी व कर्मचारियों को जो इस विभाग में उनको समायोजन करना पड़ेगा। अरबों रुपये सरकारी प्रयोगशालाएं व्यर्थ हो जाएंगी, सरकार को राजस्व का नुकसान होगा और कई लोग बेरोजगार हो जाएंगे। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि दो स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट हैं। ये प्राइवेट एजेंसियों को नहीं दी जानी चाहिए। अतः आपके माध्यम से भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री से मांग करता हूं कि बाट व माप की जांच करने का अधिकार प्राइवेट एजेंसियों को देने के लिए बनाए जा रहे नियमों को रोका जाए तथा राज्य सरकारों के पास ही यह अधिकार रखा जाए। मैं आपके माध्यम से यही मांग करता हूं।

सभापति महोदय : श्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा उठाये गये विषय के साथ

श्री अशोक अर्गल और

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय जी को एसोशिएट किया जाता है।